सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या

जनपद–फैजाबाद

दिनांक 22, 23 व 24 जून, 2016

राज्य स्तर से चार सदस्यीय भ्रमण टीम डा0 सुधा रस्तोगी, अपर निदेशक, महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, डा0 विकास सिंघल, उपमहाप्रबन्धक, आर.आई., डा0 पी0के0 गंगवार, परामर्शदाता, एन.सी.डी. एवं दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद फैजाबाद की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 22, 23 एवं 24 जून, 2016 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

वी.एच.एन.डी. सत्र ग्राम रौनाहीः

- वी.एच.एन.डी. सत्र में उपलब्ध माइक्रोप्लान में गर्भवती महिलाओं व 0 से 1 वर्ष के बच्चों का विवरण सही प्रतीत नहीं हो रहा था। माइक्रोप्लान को पुनः अपडेट किये जाने का सुझाव दिया गया।
- सत्र में बच्चों का ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी कार्यकत्रियों द्वारा नहीं भरा जा रहा था। जिसे अपडेट करने का सुझाव दिया गया।
- सत्र में आने वाले लाभार्थियों को आंगनबाडी द्वारा पोषाहार तो दिया जा रहा था किन्तु उन्हें इसके डोज के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जा रही थी। आंगनबाडी को भी पोषाहार के डोज के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।
- सत्र में जेई व आईपीवी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। डीआईओ को इस सम्बन्ध में फीडबैक दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोहावल (एफ.आर.यू.)

- लेबर रुम में डिलीवरी किट सेट में सीजर उपलब्ध नहीं थी। नवजात शिशु का कॉर्ड (नाल) सेविंग ब्लेड से ही काटा जा रहा था। इस सम्बन्ध में अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सीजर ब्लेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में उपलब्ध जंग लगे हुए उपकरणों को तत्काल हटाने के सुझाव दिये गये।
- ब्लीचिंग साल्यूशन को गाइडलाइन के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा था। गाइडलाइन के अनुसार बनाये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम के अवलोकन से प्रतीत हो रहा था कि सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।
- एन.बी.एस.यू. फंक्शनल नहीं था। फंक्शनल किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्रसव 3280 में से 649 प्रसूताओं का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 570 में से 392 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- सी.एच.सी. (एफ.आर.यू.) में वर्ष 2016–17 में (अप्रैल 2016 से अब तक) कोई भी सीजेरियन प्रसव नहीं कराया गया है। सीजर हेतु संभावित समस्त गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है जबकि सी.एच.सी. में एनेस्थेसिस्ट एवं पेडीट्रीसियन तैनात है। एफ.आर.यू. में सीजेरियन प्रसव की सेवाएं प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।

- रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित मीटिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। सी.एच.सी. में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु अनुबन्धित वाहन के अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उसकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- आशा शिकायत प्रकोष्ठ से संबधित अभिलेख अद्यतन नहीं थे। अभिलेखों को अपडेट किये जाने का सुझााव दिया गया।
- डाटा इन्ट्री आपरेटर एव ंबी.पी.एम. का चयन नहीं किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

जिला महिला अस्पताल–

- लेबर रुम में चार टेबल थीं किन्तु किट स्टूल 1 थी। सफेद पेंट कराये जाने एवं सफाई हेतु सुझाव दिया गया। लगाये गये प्रोटोकाल पोस्टर छोटे थे, पढने में समस्या आ रही थी जिन्हें बडे पठनीय साइज में लगाने का सुझाव दिया गया।
- ट्रे (7) लेबल्ड नहीं थी। उपकरणों को आटो क्लेव से स्टर्लाइज नहीं किया जा रहा था।
- फ्यूमेगेशन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। रिकार्ड निर्धारित प्रारुप में तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम के अवलोकन से प्रतीत हो रहा था कि सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।
- जे.एस.वाई. वार्ड में नवजात शिशुओं को बर्थ डोज नहीं दी जा रही थी जिससे सभी नवजात का टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। वार्ड में सभी नवजात शिशुओं को बर्थ डोज सुनिश्चित

किये जाने का सुझाव दिया गया। वार्ड में डस्टबिन भी नहीं थे, जिससे कूडा बिखरा हुआ था। वार्ड में डस्टबिन उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्रसव 5247 में से 1266 प्रसूताओं का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 933 में से 524 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। डी.डब्लू.एच में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों से सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकन से संज्ञान में आया कि समिति की बैठके नियमित रुप से आयोजित नहीं की जा रही है। समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि रु0 881989.00 का निर्धारित कार्ययोजना तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनपरांत उपभोग किये जाने का सुझाव दिया गया।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

IEC in DWH

Toilot Varandah DWH

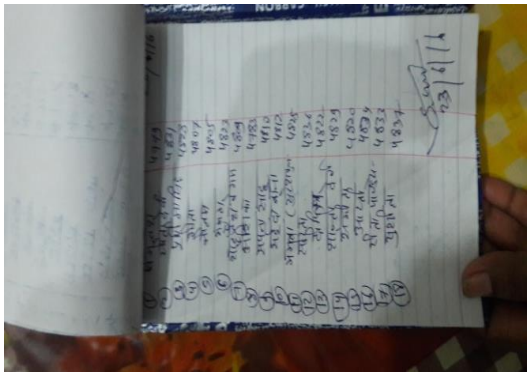

JSSK Diet Regiter in DWH

JSY ward DWH

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मसौंधा (नान एफ.आर.यू.)</u>

- लेबर रुम में डिलीवरी किट सेट में सीजर उपलब्ध नहीं थी। नवजात शिशु का कॉर्ड (नाल) सेविंग ब्लेड से ही काटा जा रहा था। इस सम्बन्ध में अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सीजर ब्लेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम के अवलोकन से प्रतीत हो रहा था कि सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्रसव 1794 में से 285 प्रसूताओं का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 352 में से 207 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों से सम्बन्धित कार्यवाही व अन्य विवरण लिखने हेतु राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उपलब्ध रजिस्टर के अवलोकन से संज्ञान में आया कि अप्रैल 2016 से अब तक समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी है। समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि का निर्धारित कार्ययोजना तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनपरांत उपभोग किये जाने का सुझाव दिया गया। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार किये जाने का भी सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव नाश्ता नहीं दिया जा रहा था। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव नाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।

- सपोर्टिव सुपरविजन हेत अनुबन्धित वाहन का अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- डाटा इन्ट्री आपरेटर एव ंबी.पी.एम. का चयन नहीं किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

Supportive Supervision in CHC Masoundha

Bio-Waste Disposal in CHC Masoundha

Bio-Waste Disposal in CHC Masoundha

Bio-Waste Disposal in CHC Masoundha

<u>उपकेन्द्र रौनाही (एल–1)</u>

- उपकेन्द्र में रनिंग वाटर सप्लाई नही थी। सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- वार्मर फंक्शनल नहीं था।
- लेबर टेबल अत्यन्त गन्दी थी। औसतन मासिक 70 के प्रसव लोड को देखते दो या तीन लेबर टेबल उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया। प्रसव लोड के सापेक्ष पी.एच.सी. को उपलब्ध होने वाली जे.एस.वाई एडमिन मद की धनराशि का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच. बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

(दिनेश पाल सिंह)	(डा0 पी0 के0 गंगवार)	(डा0 विकास सिंघल)
कार्यक्रम समन्वयक	परामर्शदाता	उपमहाप्रबन्धक